फा0 सं0 ए. 12018/13/2018- सीजीएचएस-।

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
सीजीएचएस प्रभाग
(सीजीएचएस-। अनुभाग)

कमरा सं0 430, 'सी' विंग
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 22-02- 2019

यह विभाग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव की जांच कर रहा है । तद्नुसार, एक मसौदा भर्ती नियम तैयार किया गया है और इसकी प्रति संलग्न है ।

इस मामले पर हितधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं । वेबसाईट पर डालने के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियों को अवर सचिव (प्रशासन), सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कमरा सं. 430, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेज दें । साफ्ट प्रति भी s.dharminder@nic.in पर भेजी जाए ।

संलग्नक: यथोक्त

(धर्मेन्द्र सिंह )
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी संबंधित ।

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ......................., 2019

सा.का.नि. ........... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (प्रयोगशाला सहायक ) भर्ती नियम, 1992, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् , भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता:** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् | 39* (2019)<br>1. सीजीएचएस अहमदाबाद - 1<br>2. सीजीएचएस इलाहाबाद - 1<br>3. सीजीएचएस चैन्नई - 5<br>4. सीजीएचएस दिल्ली - 1<br>5. सीजीएचएस हैदराबाद – 2<br>6. सीजीएचएस जयपुर – 4<br>7. सीजीएचएस कानपुर - 4<br>8. सीजीएचएस कोलकता – 6<br>9. सीजीएचएस लखनऊ – 2<br>10. सीजीएचएस मुम्बई – 7<br>11. सीजीएचएस नागपुर – 2<br>12. सीजीएचएस पटना - 3<br>13. सीजीएचएस पुणे – 1<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग,अराजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 5 (रूपये 29200-92300) | चयन | 25 वर्ष से अधिक नहीं<br><br>(केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार-सरकारी सेवारत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनु. जाति या अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय)<br><br>टिप्पण 1 : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत मे आवेदन पत्र प्राप्त करनेकी अंतिम तारीख होगी (किंतु असम,मेघालय, अरूणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पिति जिले तथा चंबा जिलों के पंगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख नहीं)<br>टिप्पण 2: बेरोजगार कार्यालय द्वारा की गई भर्ती के मामले मे आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख, वह तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति भर्ती :सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न/ पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| आवश्यक :<br><br>विज्ञान विषयों सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और एक वर्ष का संबंधित अनुभव सहित किसी मान्यता संस्थान से डीएमएलटी<br><br>वांच्छनीय :<br><br>चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री ।<br><br>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारीके विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियोंके अभ्यार्थियों की दशा में तब शथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारीचयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियोंको भरन के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | **विभागीय प्रोन्नति समिति, दिल्ली के लिए (पुष्टि के संबंधमें विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:**<br><br>1. अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय ) - अध्यक्ष<br>2. उप सचिव/अवर सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य<br>3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय ) - सदस्य<br>4. प्रशासनिक अधिकारी (अराजपत्रित) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय ) – सदस्य<br>**विभागीय प्रोन्नति समिति, दिल्ली से बाहर के लिए (पुष्टि के संबंधमें विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:**<br>1. अपर निदेशक,संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर - अध्यक्ष<br>2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर - सदस्य<br>3. प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या - सदस्य<br>केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई समूह क अधिकारी | लागू नहीं होता |

(फाइल संख्या ए.12018/13 /2018 -सीजीएचएस-I)

(धमेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार